रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 111] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 1982/ज्येष्ठ 19, 1904
No. 111] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 1982/JYAISTHA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 9 जून, 1982

संकल्प

फा०सं० 21/7/81-बिक्री-कर.—दिनांक 1 मार्च, 1982 के संकल्प फा० संख्या 21/7/81-वि०क० के पैरा 3 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित माल की सूची में शामिल करने तथा उन पर लगने वाले बिक्री-कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने संबंधी प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों और उन तरीकों का अध्ययन करने के लिए जिनसे राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा की जा सकती है नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1982 की बजाय 30 सितम्बर, 1982 तक प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों/कार्यालयों को भेज दी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

ज्योतिर्मय दत्त, अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 9th June, 1982

RESOLUTION

F. No. 21/7/81-ST.—In partial modification of para 3 of the Resolution F. No. 21/7/81-ST dated the 1st March, 1982, the Government have decided that the Expert Committee appointed to study the financial implications of the proposal for inclusion in the list of declared goods and for levy of additional excise duty in lieu of sales tax on vanaspati, drugs and medicines, cement, paper and paper board and petroleum products and the manner in which the financial interests of the States can be safeguarded, will submit its report by 30th September, 1982 instead of the 30th June, 1982.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette for general information.

J. DATTA, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982